:: न्यायालय सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.) ::

पीठासीन अधिकारी	:	**श्रीमती दीपा गुर्जर,** (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दाण्डिक अपील संख्या	:	47/2022 (CIS N. 47/2022)
CNR N.	:	RJDG010006252022

हांजा पिता मरता उम्र 65 वर्ष निवासी नवलश्याम फला वगात पुलिस थाना बिछीवाड़ा जिला डूँगरपुर (राज०)

...अपीलार्थी

//बनाम//

राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक झुंझुनूं (राज०)

...प्रत्यर्थी

अपील विरूद्ध निर्णय व दण्डादेश दिनांक **31.05.2022** जो नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या 51/2016 (CIS N. 731/2016) राज०राज्य/ हांजा व अन्य अन्तर्गत धारा 148, 452/149 भारतीय दण्ड संहिता में श्री मुकेश चावला, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूँगरपुर द्वारा पारित किया गया

उपस्थितः–

1 श्री शिवशंकर कटारा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

2 श्री पुष्कर चौबीसा, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

निर्णय **दिनांक 22.07.2026**

1. हस्तगत अपील अपीलार्थी/अभियुक्त हांजा की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूँगरपुर द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 31.05.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके माध्यम से अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा **148, 452/149 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोपों में दोषसिद्ध करार देते हुए **धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 5000/–रुपये के अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह तथा धारा 452/149 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दो वर्ष के साधारण कारावास एवं 10,000/–रुपये के अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह** से दण्डित किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.03.2016 को परिवादिया श्रीमती चन्दा पत्नी लिलाराम निवासी झींझवा ने मय अपने पिता शंकर के पुलिस थाना बिछीवाड़ा पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह कल दिनांक 23.03.2016 को उसके दादा–दादी से मिलने गाँव नवलश्याम फला वगात में गयी थी। वह दादा–दादी के पास उनके घर में बैठकर बाते कर रही थी कि दिन के करीब 5:00

Authenticated Document

बजे गाँव नवलश्याम फला वगात के हांजा पिता मनजी, मोहन पिता हाजा, जीवा पिता हाजा, रमेश पिता हाजा, जयन्ती पिता हाजा, नारायण पिता हाजा, दिनेश पिता हाजा एवं कान्ति पिता गला अपने हाथों में लठ–पत्थर, धारिये से लेस होकर उसके दादा के घर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर दादा–दादी के साथ बिना कारण मारपीट करना चालू कर दिया। वह यह देखकर घर से बाहर निकली, बचाओ–बचाओं की आवाज लगाने लगी तो दूसरे घर से उसके पिता शंकर, काका हरीश एवं भाई दिनेश बीच–बचाव करने दादा के घर पर आये तो उन लोगों ने उन तीनों के साथ मारपीट कर चोटें पहुंचायी। उसने व उसकी मां श्रीमती सविता ने हाथा जोड़ी कर उनको दादा के घर से रवाना किया। मारपीट में दादा जीवा के दांहिने पैर, बांये हाथ की कोहनी पर, दादी जीवली के बांये हाथ व शरीर पर, पिताजी शंकर के बांये हाथ की कोहनी पर, काका हरीश के दांहिने पैर व कमर पर, भाई दिनेश के बांये हाथ के भूजा पर व पैर पर चोटें आयी। कल होली का त्योहार होने से व आवागमन के साधन नहीं मिलने से आज वह उसके पिता शंकर को लेकर रिपोर्ट करने आयी है। कार्यवाही करावे..... इत्यादि। इस पर पुलिस थाना बिछीवाड़ा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 85/2016 अन्तर्गत धारा 143, 452, 323 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज कर अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान अपीलार्थी/अभियुक्त हाजा व अन्य अभियुक्तगण मोहन, जीवा, रमेश, जयन्ति, नारायण, दिनेश व कान्ति के विरूद्ध धारा 147, 149, 452, 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त हाजा व अन्य अभियुक्तगण मोहन, जीवा, रमेश, जयन्ति, नारायण, दिनेश व कान्ति के विरूद्ध धारा 148, 452/149 या विकल्प में 452, 325 विकल्प में 325/149, 323 विकल्प में 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप विरचित किये जाकर विचारण किया गया। अभियोजन की ओर से विचारण न्यायालय में साक्ष्य में कुल 13 साक्षीगण के कथन लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 22 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये। प्रकरण में अभियुक्त कांतिलाल की फौत हो जाने से दिनांक 05.05.2022 को उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन परीक्षित किया गया तथा उभयपक्ष को सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए आहतगण चन्दा, शंकर, दिनेश, जीवा, जीवली व सविता तथा हरिश की हद तक अपराध अन्तर्गत धारा 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता में बाद अनुमति राजीनामा पेश कर तस्दीक किया जाकर

Authenticated Document

अपीलार्थी/अभियुक्त हाजा व अन्य अभियुक्तगण मोहन, रमेश, नारायण, जयन्तिलाल, दिनेश व जीवा को अपराध अन्तर्गत धारा 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता में बरूये राजीनामा दोषमुक्त किया जा चुका होने पर अपीलार्थी/अभियुक्त हाजा व अन्य अभियुक्तगण मोहन, रमेश, नारायण, जयन्तिलाल, दिनेश व जीवा को धारा 148 व 452 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों में दोषसिद्ध कर उनको परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया गया तथा अपीलार्थी/अभियुक्त हाजा को धारा 148 व 452 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों में कारावासीय व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. बहस अपील सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी ने उपरोक्त अपराध कारित नहीं किया है। होली का त्यौहार था, सभी लोग आपस में एक–दूसरे के घर पर आ जा रहे थे। मामले में 15–20 लोग आये और झगड़ा कर मारपीट करना बताया है, लेकिन 15–20 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं की है। गवाह पी.डब्ल्यू–2 शंकर ने जिरह में रिपोर्ट उसके द्वारा नहीं लिखना बताया है। गवाह पी.डब्ल्यू–3 हरीश घटना के बाद आया था जिसने जिरह में कहा है कि किसने क्या मारा उसे पता नहीं है। गवाह पी.डब्ल्यू–6 दिनेश ने जिरह में हल्ला सुनकर घटनास्थल पर जाना बताया है। गवाह पी.डब्ल्यू–8 जीवली पक्षद्रोही घोषित हुई है। गवाह पी.डब्ल्यू–9 सविता ने मारपीट की ताईद नहीं की है। मुल्जिमान पक्ष ने फरियादी पक्ष के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया है। उनका तर्क है कि परिवादी ने जमीन की रंजिश को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया है। परीक्षित गवाह सभी एक ही परिवार के गवाह है तथा कोई भी स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलार्थी व अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध एक–दो दिन बाद रिपोर्ट दी थी। मामले में फरियादी पक्ष एवं मुल्जिमानों के मध्य आपसी राजीनामा होने से लोक अदालत की भावना से विचारण न्यायालय में राजीनामा पेश किया गया था, परन्तु विचारण न्यायालय ने हांजा के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण को परीविक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया है और अपीलार्थी को सजा सुनायी गयी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सजा कर भारी विधिक भूल की है। उनका तर्क है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं होते हैं। अन्त में उन्होंने अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

6. उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को सन्देह से परे

साबित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। उसके विरूद्ध एक अन्य प्रकरण दर्ज होकर उसे सजा हुई है। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज की जावे।

7. हस्तगत अपील के निस्तारण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है किः–

> **"क्या अभियुक्त ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 23.03.2016 को किसी समय स्थान नवलश्याम फला वगात में फरियादिया के दादा जीवा व उसके अन्य परिवारजन के साथ मारपीट करने के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर घातक आयुध धारिया, लठ व पत्थर से बल व हिंसा का प्रयोग किया व फरियादिया के दादा जीवा के कब्जेशुदा मकान में उपहति, हमला या सदोष अवरोध करने की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार किया? ''**

8. उभयपक्ष को सुनकर अपील पत्रावली एवं विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डूँगरपुर की पत्रावली नंबरी फौजदारी संख्या 51/2016 (CIS N. 731/2016) का अवलोकन किया गया।

9. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष 13 गवाहों को साक्ष्य में पेश कर परीक्षित करवाया गया है जिनमें पी.डब्ल्यू–1 श्रीमती चन्दा परिवादिया है, इसने रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि करते हुये अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि वर्ष 2016 को होली की बात है। तारीख याद नहीं है। शादी के बाद वह उसकी पहली होली होने से अपने दादा जीवा और दादी जीवली के साथ उनके घर नवलश्याम में दादा–दादी के घर गयी थी, वहां पर वह, दादा–दादी, उसका भाई दिनेश, उसके अंकल हरीश घर पर थे। शाम को करीब 5:00 बजे गाँव नवलश्याम फला वगात के हांजा पिता मनजी, मोहन पिता हांजा, जीवा पिता हांजा, रमेश पिता हांजा, जयन्ति पिता हांजा, नारायण पिता हांजा, दिनेश पिता हांजा, कांति पिता गला अपने हाथों में लठ, पत्थर व धारिये लेकर उसके दादा के घर के अन्दर घुस गये और उसके दादा–दादी और उसके अंकल हरीश व भाई दिनेश को मारा। मुल्जिमान ने मारा जिससे उसकी दादी जीवली का हाथ टूट गया। इतने में उसके पिताजी शंकर बचाने आये तो मुल्जिमान ने उनके साथ भी मारपीट की जिससे उनके हाथ टूट गया। इतने में उसकी मां सविता भी आयी, उसको भी नारायण ने पत्थर मारे। मुल्जिमान ने हमले की तैयारी पहले से कर रखी थी। तैयारी से उनके घर में प्रवेश किया और मारपीट की। उसने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 उसकी कलमी थाने में पेश की थी जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–2

है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसने पुलिस ने घटनास्थल दिखाया। नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उनके खिलाफ ग्राम न्यायालय बिछीवाड़ा में मुकदमा चल रहा है। गवाह ने इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि रिपोर्ट उसने नहीं लिखी हो। गवाह ने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि ग्राम न्यायालय वाली फाईल में उनका राजीनामा हो गया हो। गवाह का कथन है कि उनके घर के आसपास में 50–60 मकान बने हुये है जो उनके परिवार के ही है और दूसरे भी है। हांजा वगैरा के मकान भी उनके पास में ही है। इस घटना से पूर्व उनके कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं था। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि लड़ाई–झगड़ा करने 15–20 लोग घर पर आये थे, उस समय वह घर के अन्दर थी। गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि हमले के समय वह घर में घुस गयी हो। अंत में गवाह ने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि उनके कोई जमीन का विवाद हो। इस प्रकार उक्त गवाह परिवादिया है जिसने मुख्य परीक्षा में उसके द्वारा दी गयी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 की ताईद करते हुये घटना के वक्त उसका दादा–दादी के घर होना बताया है और अभियुक्तगण हाजा, मोहन, जीवा, रमेश, जयन्तिलाल, नारायण, दिनेश व कांति का हाथों में लठ, पत्थर व धारिया लेकर उसके दादा के घर के अन्दर हमले की तैयारी के पश्चात घुसकर मारपीट करने से उसकी दादी जीवली, उसके पिता शंकर के हाथ टूट जाना व अन्य को चोटें आना बताया है। परिवादिया द्वारा घटना के संबंध में किए गए उक्त कथनों का कोई खण्डन उसकी जिरह में नहीं हुआ है। फलस्वरूप परिवादिया द्वारा घटना के संबंध में मुख्य परीक्षा में किये गये कथन अखंडित रहे हैं।

10. गवाह पी.डब्ल्यू–2 शंकर आहत है जो परिवादिया चन्दा पी.डब्ल्यू–1 का पिता है जिसने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि तीन साल पहले होली का त्योहार था। गाँव नवलश्याम में उसके पिताजी के घर पर बैठा था और उनके साथ उसकी मां, उसके पिताजी, उसका भाई हरीश, उसकी बेटी चन्दा भी बैठे थे, तभी वहां पर हांजा, मोहन, जीवा, रमेश, जयन्ति, नारायण, दिनेश, कांति सभी हथियार लेकर घर में घुस गये और उसके पिताजी व माताजी व उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। हांजा ने लठ मारकर उसका बांया हाथ तोड़ दिया। उसकी मां व उसके पिताजी के भी मारपीट की। उसकी मां जीवली का हाथ टूट गया। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1, चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–2, नक्शा मौका प्रदर्श पी–3, उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसका एक्स–रे हुआ था। जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि थाने में रिपोर्ट उसने नहीं लिखी। गवाह का कथन है कि उसके पिताजी व उसका मकान आधा किलोमीटर

Authenticated Document

दूर है। उक्त गवाह ने परिवादिया द्वारा घटना के संबंध में मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों की अक्षरशः पुष्टि करते हुये अभियुक्तगण हांजा, मोहन, जीवा, रमेश, जयन्ति, नारायण, दिनेश व कांति का हथियार लेकर घर में घुस जाना और उसके माता–पिता व उनके साथ मारपीट करना बताया है और अभियुक्त हांजा द्वारा लठ मारकर उसका बांया हाथ तोड़ देना भी कथन करते हुये उसकी मां का भी हाथ टूट जाना बताया है। यह गवाह परिवादिया के साथ रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पेश करने हेतु थाने में गया था। उक्त रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पर सी से डी स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है। इस गवाह द्वारा मुख्य परीक्षा में किये गये कथन जिरह में अखण्डित रहे है।

11. गवाह पी.डब्ल्यू–4 जीवा आहत है, जो परिवादिया पी.डब्ल्यू–1 चन्दा का दादा और आहत पी.डब्ल्यू–2 शंकर का पिता है, जिसने भी अपनी साक्ष्य में आहत शंकर तथा परिवादिया चंदा द्वारा मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों को पुष्ट करते हुये सशपथ कथन किया है कि तीन साल पहले होली के त्योहार की बात है। शाम को 5:00 बजे वह उसके घर पर बैठा था। उसके साथ उसकी पत्नी जीवली, उसके लड़के हरीश, शंकर, दिनेश व चंदा भी बैठे हुये थे, तभी हांजा, जीवा, रमेश, कांति, नारायण व मोहन वगैरा उनके घर में घुस गये जिनके हाथों में लठ, कुल्हाड़ी, पत्थर व धारिये थे। इन मुल्जिमान ने उसके, उसकी पत्नी जीवली, दिनेश, शंकर व हरीश के साथ मारपीट की। मारपीट से उसकी पत्नी जीवली व शंकर के हाथ टूट गये। उसके पांव के घुटने पर लगी। उसने उसकी चोटें डॉक्टर को दिखाई थी। जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि घटना के दिन होली थी। गवाह की यह स्वीकारोक्ति रही है कि मुल्जिमान व उसका घर पास–पास है। इस प्रकार इस गवाह ने भी उसके घर पर उसके साथ उसकी पत्नी जीवली, उसके लड़के हरीश, शंकर, दिनेश व चंदा का बैठे हुये होना, तभी अभियुक्तगण हांजा, जीवा, रमेश, कांति, नारायण व मोहन आदि का उनके घर में घुस जाना और उनके हाथों में लठ, कुल्हाड़ी, पत्थर व धारिये आदि होना बताया है तथा अभियुक्तगण द्वारा उसके, उसकी पत्नी जीवली, दिनेश, शंकर व हरीश के साथ मारपीट करना कथन किया है और मारपीट से उसकी पत्नी व शंकर के हाथ टूट जाना तथा उसके पांव के घुटने पर लगना बताया है। उक्त गवाह द्वारा घटना के संबंध में किए गए उक्त कथनों का कोई खण्डन उसकी जिरह में नहीं हुआ है। फलस्वरूप उक्त गवाह द्वारा घटना के संबंध में मुख्य परीक्षा में किये गये कथन अखंडित रहे हैं।

12. गवाह पी.डब्ल्यू–5 हरीश भी आहत है, जो आहत पी.डब्ल्यू–4 जीवा का पुत्र है, जिसने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 23.03.2016 को होली के त्योहार की बात है। वह गाँव नवलश्याम में उसके पिताजी के घर भाई शंकर, मां जीवली,

भतीजा दिनेश, भतीजी चंदा बैठे थे, तभी शाम 5:00 बजे हांजा, मोहन, रमेश, जीवा, जयन्ति, दिनेश व नारायण जो हांजा के लड़के तथा कांति सभी हाथ में लकड़ी, धारिया, कुल्हाड़ियां, पत्थर लेकर उनके घर में घुस गये और मापीट की। हांजा ने पत्थर मारकर उसकी मां का हाथ तोड़ दिया। मोहन ने पत्थर से शंकर का हाथ तोड़ दिया। रमेश ने उसके कमर में पत्थर मारा व दिनेश को भी चोट आयी। हरीश, कालु व चन्दा ने आकर उन्हें छुड़ाया। उसने उसकी चोटें डॉक्टर को दिखायी थी। जिरह में गवाह का कथन है कि वह उसके पिताजी के पास ही रहता है। गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उन्होंने मुल्जिमानों के साथ मारपीट की हो। इस प्रकार इस गवाह ने भी उसका, उसके भाई शंकर, मां जीवली, भतीजा दिनेश व भतीजी चंदा का उसके पिताजी के घर पर बैठे होना, तभी अभियुक्तगण हांजा, मोहन, रमेश, जीवा, जयन्ति, दिनेश व नारायण तथा कांति का हाथों में लकड़ी, धारिया, कुल्हाड़ियां व पत्थर लेकर उनके घर में घुस जाना बताया है और अभियुक्त हाजा द्वारा पत्थर मारकर उसकी मां का हाथ तोड़ देना, मोहन द्वारा पत्थर से शंकर का हाथ तोड़ देना, रमेश द्वारा उसके कमर में पत्थर मारना व दिनेश को भी चोटें आना बताया है। इस गवाह द्वारा मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों का खण्डन जिरह में नहीं हो पाया है।

13. गवाह पी.डब्ल्यू–6 दिनेश भी आहत है, जो परिवादिया चन्दा पी.डब्ल्यू–1 का भाई है, जिसने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 23.03.2016 को होली का त्योहार था। शाम 5:00 बजे वे उसके दादाजी जीवा के घर बैठे थे, तभी हांजा व उसके 06 लड़के मोहन, रमेश, जयन्ति, दिनेश, नारायण, जीवा व कांति सभी लठ, कुल्हाड़ी व धारिया लेकर उनके घर में घुस गये, सभी ने उनके साथ मारपीट की। जीवली, जीवा, शंकर, हरीश के चोटें आयी। शंकर व जीवली के हाथ टूट गया। उसने, चंदा व पड़ोसी हरीश ने छुड़ाया। उसके भी लठ मारा था। जिरह में गवाह ने कथन किया है कि उसके दादा जीवा और उसका मकान उसके पास में ही है। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि वह घटना के वक्त उसके घर पर था, हल्ला (चिल्लाने) की आवाज सुनकर वह गया था। इस प्रकार इस गवाह ने भी उसका उसके दादा जीवा के घर पर बैठे होना तभी अभियुक्त हांजस व उसके 06 लड़के मोहन, रमेश, जयन्ति, दिनेश, नारायण, जीवा व कांति का लठ, कुल्हाड़ी व धारिया लेकर उनके घर में घुस जाना और उनके सथ मारपीट करना बताया है तथा जीवली, जीवा, शंकर व हरिश के चोटें आना एवं शंकर व जीवली के हाथ टूट जाना बताया है। इस गवाह द्वारा मुख्य परीक्षा में किये गये कथन जिरह में अखण्डित रहे हैं।

Authenticated Document

14. गवाह पी.डब्ल्यू–8 जीवली भी आहता है जो परिवादिया पी.डब्ल्यू–1 चन्दा की दादी है जो पक्षद्रोही घोषित हुई है, जिसने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि आज से चार–पाँच वर्ष पहले शाम के समय वह व उसके बड़े लड़के शंकर की लड़की चंदा उसके घर पर आयी हुई थी। वे बैठे हुये थे। उस दिन होली का दिन था। उस समय हांजा व कांति दोनों आये और आकर पत्थर से उसे मारा जिससे उसके हाथ पर लगी थी। उस समय उसके पति जीवा भी आये और उन्होंने बचाया। उसका लड़का शंकर भी बचाने आया था, उसको भी लगी थी। पुलिस में कार्यवाही की थी, तब पुलिस ने उसके मेड़िकल कराया था जो चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–13 है जिस पर एक्स स्थान पर उसका अंगुठा है। उसके एक्स–रे भी कराया था जो प्रदर्श पी–14 है। उसके हाथ में फ्रेक्चर हो गया था। गवाह ने सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी जिरह में यह स्वीकार किया है कि जब मारपीट हुयी उस समय उसके पति जीवा भी घर पर ही थे। वे घर के अंदर चौक में बैठे थे। हांजा पिता मनजी एवं कांति पिता गला दोनों उसके घर के अंदर आये थे और अंदर आकर इन्होंने उनके साथ मारपीट की थी। चंदा के चिल्लाने पर शंकर, हरीश व दिनेश भी मौके पर आये थे और बीच–बचाव किया था। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि शंकर, हरीश व दिनेश के साथ भी मोहन, जीवा, रमेश, नारायण, जयन्ति, दिनेश, हाजा व कांति ने मारपीट की थी। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके पति जीवा व लड़का शंकर, हरीश व दिनेश सभी के चोटें आयी थी। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी–15 का ए से बी भाग लिखाना बताया है। जिरह में गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि पत्थर किसने मारे यह उसे नहीं पता हो, कांति ने मारे थे। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उनके खिलाफ भी क्रोस मुकदमा हुआ था। गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसके पुलिस में बयान नहीं हुये हो। गवाह का कथन है कि पत्थर मारा तो वह नीचे गिर गयी। इस प्रकार यह गवाह पक्षद्रोही घोषित हुई है, परन्तु इसने मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण हांजा व कांति का उसके घर पर आना और पत्थर मारना जिससे उसके हाथ पर लगना बताया है और उसके हाथ में फ्रेक्चर होना भी बताया है तथा शंकर, हरीश व दिनेश के साथ भी अभियुक्तगण मोहन जीवा, रमेश, नारायण, जयन्ति, दिनेश, हांजा व कांति द्वारा मारपीट करना भी बताया है।

15. गवाह पी.डब्ल्यू–9 सविता परिवादिया पी.डब्ल्यू–1 चंदा की मां है जिसने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि आज से चार–पाँच वर्ष पूर्व शाम की बात है। होली का त्योहार था। उस दिन वह व उसके पति शंकर उसके घर पर थे। उसकी बेटी चंदा उसके ससुरजी के घर पर थी। उस सम एक बच्चा चिल्लाता हुआ उसके घर की तरफ आया

और कहने लगा दादा व दादी को मार रहे है। वह व उसके पति शंकर दोनों उसके घर से दौड़कर उसके ससुरजी के घर पर गये तो वहां पर जाकर देखा कि कांति पिता गला, हांजा पिता मनजी, मोहन पिता हांजा, रमेश पिता हांजा, जीवा पिता हांजा, दिनेश पिता हांजा व नारायण पिता हांजा आदि मिलकर उसकी सास जीवली को पत्थर मारे जिससे उसकी सास गिर गयी। उसके ससुर जीवा को भी इन लोगों ने पत्थर मारे। उन्होंने बीच में पड़कर छुड़ाने की कोशिश की तो रमेश ने उसके पति शंकर को मारा। उसका लड़का दिनेश व देवर हरीश भी वहां पर थे, उनको भी चोटें आयी थी। उसके सास–ससुर व पति शंकर, लड़का दिनेश व देवर हरीश को डूँगरपुर हॉस्पीटल लेकर गये। जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उनके खिलाफ ग्राम न्यायालय में केस हुआ था। गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसके जाने से पहले झगड़ा हो गया हो। गवाह ने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि किसने मारा यह उसे नहीं पता हो। इस प्रकार इस गवाह ने भी उसके ससुरजी के घर पर अभियुक्तगण कांति, हांजा, मोहन, रमेश, जीवा, दिनेश, नारायण आदि द्वारा उसकी सास जीवली व ससुर जीवा को पत्थर मारना व अभियुक्त रमेश द्वारा उसके पति शंकर को भी मारना बताया है तथा उसका लड़का दिनेश व देवर हरीश के भी चोटें आना बताया है। उक्त गवाह द्वारा समस्त घटनाक्रम का विवरण मुख्य परीक्षा में किये गये उक्त कथन जिरह में अखण्डित रहे हैं।

16. गवाह पी.डब्ल्यू–3 हरीश पिता नाथा घटनास्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 का साक्षी है जिसने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 23.03.2016 की बात है। होली का त्यौहार था। गाँव नवलश्याम में उसके पड़ोसी जीवा के घर उनके परिवार के लोग इकट्ठे हुये थे। उसका घर उनके पड़ोस में है। शाम पाँच बजे उसने हल्ले की आवाज सुनी तो वह वहां गया तो देखा कि जीवा के घर के अंदर हांजा, मोहन, जीवा, दिनेश, नारायण, कांति व जयन्ति थे जिनके पास लठ, पत्थर व कुल्हाड़ी थे जिससे जीवा के परिवार वालों के साथ मारपीट कर रहे थे। जिससे जीवा, जीवली, शंकर, दिनेश, हरिश के चोटें आयी थी जो जमीन पर पड़े हुये थे और मुल्जिमान इनके साथ मारपीट कर रहे थे। उन्होंने छुड़ाया था। पुलिस मौके पर आयी थी। नक्शा मौका बनाया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। जिरह में गवाह का कथन है कि जीवा उसका दादा लगता है। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि वह गया तब सब पड़े हुये थे। इस गवाह ने भी जीवा के घर के अन्दर हाजा, मोहन, जीवा पिता हांजा, दिनेश, नारायण, कान्ति व जयन्ति का होना जिनके पास लठ, पत्थर व कुल्हाड़ी होना और जीवा के परिवार वालों के साथ मारपीट कर रहे होना बताया है। मारपीट से जीवा, जीवली, शंकर, दिनेश व हरिश के चोटें

Authenticated Document

आना जो जमीन पर पड़े हुये होना बताया है। गवाह ने घटनास्थल का बनाया गया नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है। इस गवाह द्वारा मुख्य परीक्षा में किये गये कथन जिरह में अखण्डित रहे हैं।

17. गवाह पी.डब्ल्यू–7 ईश्वरलाल फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण प्रदर्श पी–5 का साक्षी है जिसने अपनी साक्ष्य में पुलिस द्वारा हांजा, मोहन, जीवा, रमेश, नारायण, जयंतिलाल, दिनेश एवं कांतिलाल को मारपीट के मामले में जरिये फर्द क्रमशः प्रदर्श पी–5 लगायत प्रदर्श पी–12 के गिरफ्तार किया जाना कथन किया है। जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने फर्दात प्रदर्श पी–5 से प्रदर्श पी–12 तक उसे पढ़कर नहीं सुनायी थी, क्या लिखा था उसे पता नहीं।

18. गवाह पी.डब्ल्यू–10 प्रकाश फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण का साक्षी है जिसने अपनी साक्ष्य में मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा हाजा, मोहन, जीवा, रमेश, नारायण, जयन्ति, दिनेश व कांति को जरिये फर्द क्रमशः प्रदर्श पी–5 लगायत प्रदर्श पी–12 के गिरफ्तार किया जाना बताते हुये फर्दों पर स्वयं के हस्ताक्षर होना कथन किया है। इस गवाह से बचाव पक्ष की ओर से किसी प्रकार की जिरह नहीं की गयी है, जिससे इस गवाह द्वारा मुख्य परीक्षा में किये गये कथन अखण्डित रह जाते है।

19. गवाह पी.डब्ल्यू–13 आर्यवीरसिंह चिकित्सक साक्षी है जिसने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 24.03.2016 को चिकित्साधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछीवाड़ा में कार्यरत था। उस दिन उसने पुलिस थाना बिछीवाड़ा की तहरीर प्रदर्श पी–17 पर आहतगण के शरीर पर आयी चोटों का परीक्षण किया था। तहरीर प्रदर्श पी–17 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। आहता जीवली के शरीर पर चोट दर्द व सूजन छितरा हुआ बांये आगे के हाथ पर थी, इस चोट को रिजर्व रखते हुये एक्स–रे की राय दी गयी थी। एक्स–रे प्लेट संख्या एल–2517 जो कि दिनांक 28.03.2016 को सामान्य चिकित्सालय डूँगरपुर में करवाया गया, इसमें बांये हाथ की रेडियस हड्डी टूटी हुई पाई गयी। इस कारण यह चोटें गंभीर प्रकृति की होकर कुन्दालय हथियार से कारित थी। चोट संख्या–2 खरोंच 0.5X0.5 दांये हाथ के घुटने के नीचे व चोट संख्या–3 दर्द व सूजन छितरा हुआ पीठ के ऊपरी बांये हिस्से में थी। चोट संख्या–2 व 3 सामान्य प्रकृति की होकर कुन्दालय हथियार से कारित थी। आहत जीवली का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–13 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर आहत की अंगुठा निशानी है। आहता जीवली का एक्स–रे प्लेट प्रदर्श पी–14 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

Authenticated Document

20. चिकित्सक साक्षी का आगे सशपथ कथन रहा है कि आहत शंकर के चोट संख्या–1 दर्द व सूजन छितरा हुआ बांये ऊपरी हाथ कोहनी व आगे के हाथ पर थी। इस चोट को रिजर्व रखते हुये एक्स–रे की राय दी गयी। एक्स–रे प्लेट संख्या–एल 2516 जो दिनांक 28.03.2016 को सामान्य चिकित्सालय डूँगरपुर में करवाया गया। इसमें बांये हाथ की ह्युमरस हड्डी टूटी हुयी पायी गयी। इस कारण यह चोट गंभीर प्रकृति की होकर कुन्दालय हथियार से कारित थी। चोट संख्या–2 खरोंच 5X2 सेमी कमर के नीचले दांये भाग में यह चोट सामान्य प्रकृति की होकर कुन्दालय हथियार से कारित थी। चोट संख्या–2 सामान्य प्रकृति की होकर कुन्दालय हथियार से कारित थी। आहत शंकर का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4 है जिस पर सी से डी आहत के व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। आहत शंकर का एक्स–रे प्लेट प्रदर्श पी–21 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

21. चिकित्सक साक्षी ने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि आहत हरिश के शरीर पर चोट संख्या–1 खरोंच 2X1 सेमी दांये पैर के घुटने के नीचे, चोट संख्या–2 खरांच 1X1 सेमी बांये आगे के हाथ में, चोट संख्या–3 दर्द व सूजन छितरा हुआ नीचले पेट के दांये भाग पर, चोट संख्या–4 खरोंच 1X1 सेमी बांये आगे के हाथ पर कोहनी के पास थी। उक्त चोटें सामान्य प्रकृति की होकर कुन्दालय हथियार से कारित थी। आहत हरीश का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–18 है जिस पर सी से डी आहत के व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

22. चिकित्सक साक्षी ने साक्ष्य में यह सशपथ कथन किया है कि आहत दिनेश के शरीर पर चोट संख्या–1 खरोंच 1X0.5 सेमी दांये हाथ पर, चोट संख्या–2 खरोंच 3X2 सेमी दांये हाथ पर कंधे के पास व चोट संख्या–3 दर्द व सूजन छितरा हुआ दांयी जांघ पर थी। उक्त चोटें सामान्य प्रकृति की होकर कुन्दालय हथियार से कारित थी। आहत दिनेश का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–19 है जिस पर सी से डी आहत के व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

23. चिकित्सक साक्षी ने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि आहत जीवा के शरीर पर चोट संख्या–1 रगड़ 3X1 व 2X1 सेमी बांये हाथ की कोहनी पर, चोट संख्या–2 रगड़ 1X1 सेमी 4X1 सेमी 2 X 0.5 सेमी दांये पैर पर घुटने के नीचे थी। उक्त चोटें सामान्य प्रकृति की होकर कुन्दालय हथियार से कारित थी। आहत जीवा का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–20 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर आहत की अंगुठा निशानी है। जिरह में गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि ढलान वाले क्षेत्र से गिरने से आहता जीवली की चोटें आ सकती हो स्वयं कहा ऊंचाई से गिरने से आ सकती है। गवाह का कथन है कि आहता जीवली की चोट संख्या–2 स्वकारित हो सकती है या

नहीं वह नहीं बता सकता स्वयं कहा कि गिरने पड़ने से आ सकती है। गवाह ने यह सही होना स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–4 की चोट संख्या–1 ऊंचाई से कंधे के बल गिरने से आ सकती है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–18 लगायत 20 की चोटें गिरने पड़ने से आ सकती है।

24. इस प्रकार उक्त चिकित्सक की साक्ष्य व चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–13, प्रदर्श पी–4, प्रदर्श पी–18, प्रदर्श पी–19 व प्रदर्श पी–20 के संयुक्त अवलोकन से आहता जीवली के बांये हाथ की रेडियस हड्डी टूटी हुई होकर कुन्दालय हथियार से कारित एक गंभीर प्रकृति की तथा दो सामान्य प्रकृति की चोटें कारित होना प्रकट होता है तथा आहत शंकर के बांये हाथ की हयुमरस हड्डी टूटी हुई होकर कुन्दालय हथियार से कारित एक गंभीर प्रकृति की तथा एक सामान्य प्रकृति की चोटें कारित होना प्रकट होता है एवं आहत हरीश के चारों सामान्य प्रकृति की होकर कुन्दालय हथियार से कारित होना प्रकट होता है व आहत दिनेश के तीनों सामान्य प्रकृति की होकर कुन्दालय हथियार से कारित होना प्रकट होता है और आहत जीवा के दोनों चोटें सामान्य प्रकृति की होकर कुन्दालय हथियार से कारित होना प्रकट होता है तथा उक्त चोट प्रतिवेदन प्रपत्रों से आहतगण पी.डब्ल्यू–8 जीवली, पी.डब्ल्यू–2 शंकर, पी.डब्ल्यू–5 हरिश भराड़ा, पी.डब्ल्यू–6 दिनेश व पी.डब्ल्यू–4 जीवा द्वारा घटना के संबंध में किये गये कथनों की पुष्टि होती है।

25. गवाह पी.डब्ल्यू–12 हरिराम रेड़ियोग्राफर है जिसने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 28.03.2016 को सामान्य चिकित्सालय डूँगरपुर में वरिष्ठ रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने मेड़िकल ज्यूरिष्ट की उपस्थिति व निर्देशन में आहत शंकर के बांयी भुजा का एक्स–रे लिया जो प्रदर्श पी–21 है। एक्स–रे प्लेट संख्या–25 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन आहता जीवली के बांयी कलाई का एक्स–रे लिया जो प्रदर्श पी–14 है व एक्स–रे प्लेट संख्या–2517 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एक्स–रे तैयार कर उसने मेड़िकल ज्यूरिष्ट को सुपुर्द किया। जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि वह रेड़ियोलोजिस्ट नहीं है और ना ही उसने एक्स–रे बाबत राय दी है। उक्त गवाह द्वारा आहतगण शंकर व जीवली के हाथों का एक्सरे लिया जाना बताया गया है जिसकी पुष्टि एक्स–रे प्लेट प्रदर्श पी–21 व 14 से होती है।

26. गवाह पी.डब्ल्यू–11 नरेद्रसिंह प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है जिसने अपनी साक्ष्य में उसके द्वारा किये गये आवश्यक अनुसंधान संबंधी साक्ष्य देते हुये सशपथ कथन किया है कि दिनांक 24.03.2016 को प्रार्थीया श्रीमती चन्दा की रिपोर्ट पर थानाधिकारी ने

प्रकरण संख्या–85/2016 अन्तर्गत धारा 143, 452, 323 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान उसके जिम्मे किया जो रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 है जिस पर ए से बी प्रार्थीया के, सी से डी प्रार्थीया के पिता शंकर के व ई से एफ नरेन्द्रसिंह थानाधिकारी के हस्ताक्षर होकर जी से एच कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन अंकित है। चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–2 है जिस पर ए से बी व सी से डी प्रार्थीया व शंकर के हस्ताक्षर व ई से एफ नरेन्द्रसिंह थानाधिकारी के हस्ताक्षर है। उसने घटनास्थल नवलशयाम में प्रार्थीया के दादा का मकान जहां घटना हुई वहां का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 बनाया जिस पर ए से बी प्रार्थीया, सी से डी व ई से एफ मौतबिर व जी से एच उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर मौतबिर कालु का अंगुठा निशानी है। उसने गवाह चन्दा, जीवा, दिनेश, हरिश, शंकर, जीवली व सविता के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध किये। आहत जीवा, दिनेश, हरिश, शंकर व जीवली के चोटों का मेड़िकल कराने हेतु एमओ को तहरीर दी जो प्रदर्श पी–17 है जिस पर ए से बी ड्यूटी ऑफिसर दिग्विजयसिंह के हस्ताक्षर है। उसने आहत जीवली का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–13, शंकर का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4, हरिश का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–18, दिनेश का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–19, जीवा का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–20 एमओ से प्राप्त कर शामिल फाईल किये। सभी चोट प्रतिवेदन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। आहत शंकर का एक्स–रे प्लेट प्रदर्श पी–21 व जीवली का एक्स–रे प्लेट प्रदर्श पी–14 एमओ से प्राप्त कर शामिल फाईल किए। इन दोनों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। आहत जीवली व शंकर की चोटें गंभीर प्रकृति की पायी गयी।

27. अनुसंधान अधिकारी ने अपनी साक्ष्य में आगे सशपथ कथन किया है कि अभियुक्तगण हांजा, मोहन, जीवा, रमेश, नारायण, जयन्तिलाल, दिनेश, कान्ति को जरिये फर्द क्रमशः प्रदर्श पी–5 लगायत प्रदर्श पी–12 के गिरफ्तार किया गया। सभी फर्दों पर ए से बी व सी से डी मौतबिर के, ई से एफ उसके व जी से एच अभियुक्तगण के हस्ताक्षर है। अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने से पूर्व धारा 41 की चैक लिस्ट प्रदर्श पी–22 बनायी जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्तगण हांजा, मोहन, जीवा, रमेश, नारायण, जयन्ति, दिनेश व कान्तिलाल के विरूद्ध धारा 147, 452, 323, 325, 149 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित पाये जाने से पत्रावली थानाधिकारी के समक्ष पेश हुई जिन्होंने चार्जशीट कता कर चालान न्यायालय में पेश किया। जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि घटना घटी उस समय होली का त्यौहार था। गवाह ने इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–1 रिपोर्ट की हस्तलिपी अलग–अलग हो स्वयं कहा कि एक के द्वारा ही लिखी गयी है।

Authenticated Document

28. इस प्रकार रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में उल्लेखित तथ्यों एवं पी.डब्ल्यू–1 श्रीमती चन्दा, पी.डब्ल्यू–2 शंकर, पी.डब्ल्यू–3 हरीश पिता नाथा, पी.डब्ल्यू–4 जीवा, पी.डब्ल्यू–5 हरीश पता जीवा, पी.डब्ल्यू–6 दिनेश, पी.डब्ल्यू–8 जीवली व पी.डब्ल्यू–9 सविता की साक्ष्य से यह प्रकट है कि परिवादिया चंदा के दादा–दादी के घर के अन्दर अभियुक्तगण हांजा, मोहन, जीवा, रमेश, जयन्तिलाल, नारायण, दिनेश व कांति हाथों में लठ, पत्थर व धारिया लेकर हमले की तैयारी के पश्चात घुस गये और आहतगण जीवली, दिनेश, शंकर व हरीश तथा जीवा के साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर उपहतियां पहुंचायी। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी हाजा सहित अन्य अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 323, 325 भारतीय दण्ड संहित में बरूये राजीनामा दोषमुक्त किया जा चुका है।

29. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा कि परिवादिया चंदा, शंकर, हरीश पिता नाथा, जीवा, हरीश पिता जीवा, दिनेश पिता शंकर, जीवली व सविता एक ही परिवार के सदस्य होकर हितबद्ध साक्षी है। अतः इनकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, परंतु उक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त सभी साक्षीगण से बचाव पक्ष को प्रतिपरीक्षा का पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ है तथा उक्त साक्षीगण की जिरह में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुए हैं जिनसे इनकी साक्ष्य पर अविश्वास किया जावे। मात्र इस आधार पर कि उक्त सभी गवाह एक ही परिवार के सदस्य होकर हितबद्ध साक्षी है, इनकी अखण्ड़ित साक्ष्य को अविश्वसनीय होना मानकर नकारा नहीं जा सकता है।

30. इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषणानुसार यह तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित होता है कि दिनांक 23.03.2016 को मौजा **नवलश्याम फला वगात में अभियुक्त हाजा ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादिया के दादा जीवा व उसके अन्य परिवारजन के साथ मारपीट करने के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर घातक आयुध धारिया, लठ व पत्थर से बल व हिंसा का प्रयोग किया व फरियादिया के दादा जीवा के कब्जेशुदा मकान में उपहति, हमला या सदोष अवरोध करने की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार किया**। अतः पत्रावली पर आई अभियोजन साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 148, 452/149 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किये जाने का जो निष्कर्ष निकाला है उसमें मेरी विनम्र राय में किसी प्रकार की कोई अवैधता नहीं है एवं दोषसिद्धी का निष्कर्ष पुष्ट किये जाने योग्य है।

31. **दण्ड के बिन्दु पर सुना गया।**

Authenticated Document

32. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी ग्रामीण परिवेश का है जो लगभग 10 वर्षो से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अपीलार्थी करीब 70 वर्ष की उम्र का होकर वृद्ध व्यक्ति है। प्रकरण में विचारण न्यायालय ने सहअभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया है। अतः अपीलार्थी को भी प्रेबेशन का लाभ दिया जावे। अपीलार्थी करीब 08 दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में भी रह चुका है। अपीलार्थी का पूर्व का कोई आपराधिक अभिलेख नहीं है। अतः उसके प्रति नरमी का रूख अपनाया जावे।

33. उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्व करते हुए जो दण्डादेश पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्व में एक प्रकरण दर्ज होकर उसे दोषसिद्व किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

34. उभयपक्ष को सुनकर अभिलेख का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादिया चंदा के दादा जीवा व उसके अन्य परिवारजन के साथ मारपीट करने के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया एवं घातक आयुध धारिया, लठ व पत्थर जिनके आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग लिये जाने पर मृत्यु कारित होना सम्भावित है, से सुसज्जित होकर फरियादिया चन्दा के परिवारजन के साथ मारपीट कर बल व हिंसा का प्रयोग किया एवं फरियादिया के दादा जीवा के कब्जेशुदा मकान में उपहति, हमला या सदोष अवरोध करने की तैयारी के पश्चात गृह–अतिचार किया। इसके अतिरिक्त पत्रावली में उसके विरूद्ध पूर्व में एक अन्य प्रकरण संख्या–400/1995 धारा 147, 148, 149, 325, 323, 427, 379 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज होकर दिनांक 04.03.1997 को सजा होना बताया गया है। इसलिये इस प्रकरण में अपीलार्थी/अभियुक्त को आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा सकता है, परन्तु प्रकरण के उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अन्वीक्षा की अवधि को मध्य नजर रखते हुये अपलार्थी/अभियुक्त को दी गयी सजा अवधि में कुछ नरमी अपनाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

35. परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त **हांजा पिता मरता** उम्र 65 वर्ष निवासी नवलश्याम फला वगात पुलिस थाना बिछीवाड़ा जिला डूँगरपुर (राज०) द्वारा प्रस्तुत अपील विरूद्ध दोषसिद्धि दिनांक 31.05.2022 अन्तर्गत धारा 148, 452/149 भारतीय दण्ड संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धी की पुष्टि की जाती है परन्तु अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील

विरूद्ध दण्डादेश आंशिक रूप स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश अपास्त किया जाकर अपीलार्थी/अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है:–

1. **धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध में एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 5,000/–रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह का साधारण कारावास।

2. **धारा 452/149 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध में दो वर्ष के साधारण कारावास एवं 10,000/–रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह का साधारण कारावास **के स्थान पर एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 5,000/–रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह का साधारण कारावास।**

36. दोनों सजायें साथ–साथ भुगतायी जावे।

37. उपरोक्तानुसार दण्डादेश का संशोधित (अल्टरनेटिव) वारंट निर्मित किया जावे।

38. निर्णय की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे।

––sd––

(दीपा गुर्जर)
सेशन न्यायाधीश
डूँगरपुर (राज.)

निर्णय आज दिनांक **22.07.2026** को लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

––sd––

(दीपा गुर्जर)
सेशन न्यायाधीश
डूँगरपुर (राज.)

P.A. CUM E.A.
"I attest to the accuracy and authenticity of this document."

OM PRAKASH FALEJA

Digitally signed by OM PRAKASH FALEJA
Location: DJ COURT DUNGARPUR
Date: 2026.07.24 14:05:30 +0530